न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :—मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
461 / 2022	14.11.2022	31.07.2023

उनवान

1. रिपी एंटरप्राईजेज ऑफिस 6 डी कॉपरेट टॉवर ए 2 जे0एल0एन मार्ग मालवीय नगर जरिये डायरेक्टर सब्बीर खान।
2. सब्बीर खान पुत्र नसीब खान जाति मुसलमान निवासी 10 राजहंस कालोनी ब्रहमपुरी जयपुर।

वादीगण।

बनाम

1. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
2. किशन सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
3. दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
4. मोहनी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
5. सुनीता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
6. रामादेवी पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
7. हनुमान सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
8. उपपंजीयक नीमराना।
9. लैण्ड होल्डर जरिय तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा बाबत इश्तकरारहक,तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्रीमकरध्वज शर्मा एड. वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई।दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकारसे है—

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 1097 / 0.22, 1100 / 0.22 वाके ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना मे वादी सं. 01 कम्पनी का हिस्सा 27 / 55 की व वादी सं. 02 हिस्सा 1 / 5 का एंव प्रति वादी सं. 01 लगा. 5 प्रत्येक हिस्सा 17 / 825 के व प्रति0 सं0 06 व 07 प्रत्येक हिस्सा 17 / 165 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है और मौकें पर काबिज है।

2. आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रति0 सं0 01 लगा. 07 के मध्य बिना बंटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। जिसका बिना विधिवत रूप से तकासामा किये किसी भी सहखातेदार को आराजी मुतनाजा के किसी विशेष भूभाग व ख0नं0 पर कब्जा करने या किसी भाग को अपना बताकर उसे दिगर जगह मुंतकिल या किसी भी भाग पर कब्जा कर उसमे किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच इंच पर सहखातेदार के हक व अधिकार निहित है। लेकिन कुछ प्रतिवादीगण आराजी का बिना विधिवत तकासम कर वाये ही अच्छी से अच्छी आराजी जो रास्ते से लगते हुई है उस पर जबरन कब्जा कर उसे दिगर जगह मुंतकिल व जबरन कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करने की फिराक मे है।

...ड अधिकारी
...राना (अलवर)

3. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को आराजी का विधिवत रूप से तकासमा कराये जाने हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण रिकॉर्ड मे बंटवारा कराने के लिए साफ इंकार होगये। अब प्रतिवादीगण अच्छी से अच्छी आराजी पर कब्जा कर दिगर लोगों को मुंतकिल करने पर उतारू हो रहे है इसलिए वादीगणको यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. अंत मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—

(क) डिक्री इश्तकरारहक व तकसीम आराजी इस अमर की फरमाई जावे कि आ. ख.नं. हाल 1097/0.22, 1100/0.22 वाके ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना के अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि का मौके पर कुर्रे कायम कराये जाकर मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट हिस्सानुसार खातेदार हमवादीगण को एंव प्रतिवादीगण सं0 01 लगा. 07 को घोषित किया जावे एंव इसी अनुसार अलग अलग तकासमा किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदीयात ख.गिरदावरी जात मे अंकन करने व राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटे जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी का जबतक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

(घ)अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

5. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा वाद की सुनवाई जाकर वाद वादीगण दिनांक 04.07.2023 को प्रा0डिक्री किया जाकर तहसीलदार,नीमराना को मौके पर निमयानुसार कुर्रे कायम किये जाने के आदेश दिये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार,नीमराना ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/23/2591 दिनांक 28.07.23 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाई गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर वकील वादीगण को सूना गया वकील वादीगण ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर ही डिक्री किये जाने का निवेदन किया। कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही हुई इसलिए वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

6. अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम गूगलकोटा तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1 रिधी एंटरप्राइजेज हि0 27/38 ऑफिस 6 डी कॉपरेट ए 2 जे0एल0एन0मार्ग मालवीय नगर जयपुर । 2 सब्बीर खान पुत्र नसीब खान हि0 11/38 जाति मुसलमान निवासी 10 राजहंस कालोनी ब्रहमपुरी जयपुर खातेदार।	1097/1 1100/1	0.1520 0.1520	
		किता 2	रकबा 0.3040	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

Sidd/2023

2.	1. कविता पुत्री रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0देह खातेदार। 2. किशनसिंह पुत्र रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0 शाहजहाँपुर खातेदार। 3. दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0 शाहजहाँपुर खातेदार। 4. मोहनी देवी पत्नी रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0शाहजहाँपुर खातेदार। 5. सुनीता पुत्री रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0 शाहजहाँपुर खातेदार। 6. रामादेवी पुत्री गणपतसिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0देह खातेदार। 7. हनुमानसिंह पुत्र गणपत सिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0 शाहजहाँपुर खातेदार।	1097/2 1100/2	0.0680 0.0680	
		किता 2	रकबा 0.1360	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे.पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

31/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :—मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
451/2022	14.11.2022	31.07.2023

उनवान

1. रिधी एंटरप्राईजेज ऑफिस 6 डी कॉर्पोरेट टॉवर ए 2 जे0एल0एन मार्ग मालवीय नगर जरिये डायरेक्टर सब्बीर खान।
2. सब्बीर खान पुत्र नसीब खान जाति मुसलमान निवासी 10 राजहंस कालोनी ब्रहमपुरी जयपुर।

वादीगण।

बनाम

1. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
2. किशन सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
3. दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
4. मोहनी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
5. सुनीता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
6. रमादेवी पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
7. हनुमान सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
8. उपपंजीयक नीमराना।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा बाबत इस्तकरारहक,तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट0

—:पर्चा डिक्री:—

वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम मूलकोटा तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	3. रिधी एंटरप्राइजेज हि0 27/38 ऑफिस 6 डी कॉर्पोरेट ए 2 जे0एल0एन0मार्ग मालवीय नगर जयपुर । 4. सब्बीर खान पुत्र नसीब खान हि0 11/38 जाति मुसलमान निवासी 10 राजहंस कालोनी ब्रहमपुरी जयपुर खातेदार।	1097/1 1100/1	0.1520 0.1520	
		किता 2	रकबा 0.3040	
2.	8. कविता पुत्री रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0देह खातेदार। 9. किशनसिंह पुत्र रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0 शाहजहॉपुर खातेदार। 10. दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0 शाहजहॉपुर खातेदार। 11. मोहनी देवी पत्नी रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0शाहजहॉपुर खातेदार। 12. सुनीता पुत्री रामचन्द्र हि0 1/15 जाति राजपूत सा0 शाहजहॉपुर खातेदार। 13. रमादेवी पुत्री गणपतसिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0देह खातेदार। 14. हनुमानसिंह पुत्र गणपत सिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0 शाहजहॉपुर खातेदार।	1097/2 1100/2	0.0680 0.0680	
		किता 2	रकबा 0.1360	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक—पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे

31/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	प्रारंभिक निर्णय दिनांक
461 / 2022	14.11.2022	04.7.2023

उनवान

1. रिपी एंटरप्राईजेज ऑफिस 6 डी कॉपरेट टॉवर ए 2 जे0एल0एन मार्ग मालवीय नगर जरिये डायरेक्टर सब्बीर खान।
2. सब्बीर खान पुत्र नसीब खान जाति मुसलमान निवासी 10 राजहंस कालोनी ब्रहमपुरी जयपुर।

वादीगण।

बनाम

1. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
2. किशनसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
3. दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
4. मोहनी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
5. सुनीता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
6. रामादेवी पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
7. हनुमानसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
8. उपपंजीयक नीमराना।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा बाबत इस्तकरारहक,तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी अंतर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड. वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::प्रारम्भिक निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 1097 / 0.22, 1100 / 0.22 वाके ग्राम वाके ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना मे वादी सं. 01 कम्पनी का हिस्सा 27 / 55 की व वादी सं. 02 हिस्सा 1 / 5 का एंव प्रतिवादी सं. 01 लगा. 5 प्रत्येक हिस्सा 17 / 825 के व प्रति0 सं0 06 व 07 प्रत्येक हिस्सा 17 / 165 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है और मौके पर काबिज है।
2. आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रति0 सं0 01 लगा. 07 के मध्य बिना बंटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। जिसका बिना विधिवत रूप से तकासामा किये किसी भी सहखातेदार को आराजी मुतनाजा के किसी विशेष भू भाग व ख0नं0 पर कब्जा करने या किसी भाग को अपना बताकर उसे दिगर जगह मुंतकिल या किसी भी भाग पर कब्जा कर उसमे किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच इंच पर पर सहखातेदार के हक व अधिकार निहित है। लेकिन कुछ प्रतिवादीगण आराजी का बिना विधिवत तकासमा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी जो रास्ते से लगते हुई है उस पर जबरन कब्जा कर उसे दिगर जगह मुंतकिल व जबरन कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करने की फिराक मे है।
3. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को आराजी का विधिवत रूप से तकासमा कराये जाने हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण रिकॉर्ड मे बंटवारा कराने के लिए साफ इंकार हो गये। अब प्रतिवादीगण अच्छी से अच्छी आराजी पर कब्जा कर दिगर लोगों को

ड अधिकारी
राना (अलवर)

Sidd/2023

मुतकिल करने पर उतारू हो रहे है इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. अंत मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:–

(क) डिक्री डिक्री इस्तकरारहक व तकसीम आराजी इस अमर की फरमाई जावे कि आ.ख.नं. हाल 1097 / 0.22, 1100 / 0.22 वाके ग्राम वाके ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना के अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि का मौके पर कुर्रे कायम कराये जा कर मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट हिस्सानुसार खातेदार हम वादीगण को एंव प्रतिवादीगण सं0 01 लगा. 07 को घोषित किया जावे एंव इसी अनुसार अलग अलग तकासमा किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदीयात ख.गिरदावरीजात मे अंकरन करेन व राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटे जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पावन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी का जब तक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो वय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

5. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण वावजूद सूचना के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

6. हमने वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी व बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की सामलाती खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है जिसके मौके पर कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट लिया जाना उचित प्रतित होता है। वादीगण का वाद प्रा0डिक्री किये जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिए जाते है कि वो आराजी ख.नं. 1097 / 0.22, 1100 / 0.22 वाके ग्राम वाके ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना के मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे अच्छी मे अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि के कुर्रे कायम कराये जाकर,कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे नियत दिनांक 18.07.2023 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जावे।प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली इंतजार कुर्रे कायमी रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 को पेश हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.7.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

04/7/2023

मुकट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	पंजी. दिनांक	प्रारंभिक निर्णय दिनांक
401/2022	14.11.2022	04.7.2023

उनवान

1. रिपी एंटरप्राईजेज ऑफिस 6 डी कॉरपरेट टॉवर ए 2 जे0एल0एन मार्ग मालवीय नगर जरिये डायरेक्टर सब्बीर खान।
2. सब्बीर खान पुत्र नसीब खान जाति मुसलमान निवासी 10 राजहंस कालोनी ब्रह्मपुरी जयपुर।

वादीगण।

बनाम

1. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
2. किशनसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
3. दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
4. मोहनी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
5. सुनीता पुत्री रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
6. रामादेवी पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
7. हनुमानसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
8. उपपंजीयक नीमराना।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा बाबत इस्तकरारहक,तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति:

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड. वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रारंभिक पर्चा डिक्री

वाद वादीगण वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिए जाते है कि वो आराजी ख.नं. 1097/0.22, 1100/0.22 वाके ग्राम वाके ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना के मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे अच्छी मे अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि के कुर्रे कायम कराये जाकर,कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे नियत दिनांक 18.07.2023 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जावे।

04/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)